न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 05/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कमला पत्नि स्व0 जयसिंह

2. कृष्ण कुमार

3. धनेश कुमार पुत्रान जयसिंह जाति गुसाई निवासी ग्राम गुसाईयों ढाणी तन जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:---- अपीलांटस

बनाम

1 बाला पत्नि स्व0 सुरेश

2 बलवन्त पुत्र सुरेश

3 हबलू पुत्र सुरेश नाबालिग

4 रवि पुत्र सुरेश नाबालिग जरिये सरपरस्त माता बालादेवी पत्नि सुरेश जाति गुसाई निवासी ग्राम गुसाईयों की ढाणी तन जागीवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- असल रेस्पो0

5 अशोक कुमार (हजफ)

6 बिरजू (हजफ)

7 नरेन्द्र (हजफ) पुत्रान होशियारसिंह जाति गुसाई निवासी ग्राम गुसाईयों की ढाणी तन जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर

8 तहसीलदार मुण्डावर

9 उप पंजीयक मुण्डावर

10 होशियार पुत्र श्योलाल उर्फ शिवलाल जाति गुसाई निवासी ग्राम गुसाईयो की ढाणी तन जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर

:----तरतीबी रेस्पो0

5/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,मुण्डावर
दिनांक 24.12.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- सर्व श्री अमरचन्द चौधरी,
ओमानन्द चौधरी

2. वकील रेस्पो0 :- श्री रामेश्वर दयाल

3. वकील रेस्पो0सं0 3 :- श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 17.10.2019

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 177/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद बाबत इश्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज मय हुकम इम्तनाई दवामी डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 998/1.11, 997/1.11, 842/0.17, 573/1.04, 941/0.स16, 942/0.08, 943/0.03, 944/0.04, 945/0.09, 947/0.08, 967/1.00, 938/0.11, 969/0.11, 972/0.13, 973/0.07, 974/0.07, 814/0.16, 514/0.11, 513/0.05, 927/1.13, 834/0.13, 835/0.07, 836/0.06, 492/0.06, 493/0.06, 858/0.16, 865/0.08, 491/0.10, 928/1.16, 929/1.16 हे0 वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर वादीगण, प्रतिवादीगण एवं अन्य सह खातेदारान की पैत्रिक आराजी है । मृतक श्योकरण की विरासत इन्तकाल नम्बर 171 वादीगण के पूर्वज रामजीलाल व प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योलाल उर्फ शिवलाल के नाम 1/2, 1/2 भाग में आई । विरासत का इन्तकाल दर्ज हो गया । परन्तु उक्त इन्तकाल के बाद बनने वाली जमाबंदी में अमल नहीं हो पाया था । और कुल आराजी श्योकरण के हिस्से वाली प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई । सम्वत 2014 से वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर श्योकरण की आराजी पर बराबर बराबर में काबिज चले आ रहे हैं । इन्तकाल नम्बर 171 का अमल

11/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
... अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

जमाबंदियों में नहीं आने से वादीगण के हिस्से को भी गलत तौर पर प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया गया । प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर श्योकरण के हिस्से में से अपने नाम 2/3 भाग और वादीगण के नाम 1/3 भाग का इन्द्राज करा लिया । जबकि 1/2 भाग रामजीलाल इन्द्राज के वारिसान वादीगण के नाम, 1/2 भाग प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना चाहिये । अतः वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार घोषित किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का उक्त वाद डिक्री किया है,जिसकी यह अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत की गई है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि वाद में वर्णित आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है । विवादित आराजी में मृतक श्योकरण का हिस्सा जरिये विरासत वादीगण के पूर्वज रामजीलाल व प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योलाल उर्फ शिवलाल के नाम 1/2, 1/2 भाग इन्तकाल संख्या 171 दिनांक 5.6.1958 को सही दर्ज हुआ है । उक्त इन्तकाल मात्र श्योकरण के हिस्से की आराजी का दर्ज हुआ है, समस्त आराजी का दर्ज नहीं हुआ । वादीगण असल रेस्पो0 अपने आपको समस्त आराजी में से 1/2 भाग का खातेदार घोषित कराने के अधिकारी नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 को गलत पक्षकार बनाया गया है, उनका नाम राजस्व रेकार्ड में नहीं है । अन्य आवश्यक सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है । हम खातेदार है । कानूनन हमारे खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । हमको धारा 80 सी0 पी0 सी0 का नोटिस नहीं दिया गया है । वादीगण ने अपना वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कराया है । मात्र इन्तकाल के आधार पर वाद पत्र डिक्री कर दिया । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज आ शाराम थे । उनके तीन लडके इन्द्राज, श्योलाल एवं श्योकरण हुये । श्योकरण लाऔलाद फौत हो गया । इस प्रकार विवादित भूमि 1/2, 1/2 भाग में इन्द्राज एवं श्योलाल के हक में आई । वादीगण के पूर्वज रामजीलाल एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योलाल है । रामजीलाल फौत हो गया, जिसके वारिसान असल रेस्पो0 वादी है । वादीगण असल रेस्पो0 का यह कहना है कि इन्तकाल संख्या 171 के अनुसार अमल नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में इन्होंने यह नहीं बताया कि कौनसी जमाबन्दी है, जिसमें 2/3, 1/3 भाग का अंकन हुआ है । श्योकरण सम्वत 2058 में ही फौत हो गया । सम्वत 2014 से सम्वत 2064 के बीच

17/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

का कोई रेकार्ड इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, जिससे इनके कथन की ताईद हो सके । रामजीलाल पहले ही इस जमीन में से कुछ जमीन बेच चुका है । अब रामजीलाल के लडके सुरेश के लडकों ने यह कहते हुये दावा कर दिया कि हमारे पास दादालाई सम्पत्ति बराबर नहीं आई है । अधिनस्थ न्यायालय में हमको सुनवाई का अवसर नहीं दिया और दावा एकपक्षीय डिक्री कर दिया, वो भी 2 जमाबंदियों के आधार पर । तनकी नम्बर 01 के समर्थन में वादीगण असल रेस्पो0 ने कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की । इस तनकी का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । तनकी नम्बर 02 में हमको सुना ही नहीं । वादीगण असल रेस्पो0 ने जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है, उसमें कितना हिस्सा वादी का होना चाहिये, कितना हिस्सा वादी को मिला था और प्रतिवादी को कितना मिला था, अगर प्रतिवादीगण को ज्यादा मिला था तो कैसे मिला था । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसंगत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि अगर रामजीलाल ने कुछ भूमि बेची थी, तो उसका रिकार्ड अपीलांट प्रस्तुत करे । ये स्वयं इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि 1/2, 1/2 भाग में होनी चाहिये । इनका कहना है कि सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, इस तथ्य को इन्होंने जवाब दावा में नहीं उठाया है, इसलिये अपील में उठाने का कोई राईट नहीं है । जिनके खिलाफ हमें रिलीफ चाहिये थी, उनको पक्षकार बना लिया है । अधिनस्थ न्यायालय में सगा चाचा होशियारसिंह ने राजीनामा लिखकर दिया है कि गलत इन्द्राज को सही किया जावे । स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा साक्ष्य होता है । परन्तु फिर भी हमने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 03 का कथन है कि इन्तकाल नम्बर 171 का कहीं पर भी अमल नहीं हुआ है । रामजीलाल के द्वारा कोई भूमि नहीं बेची गई थी । अपीलांट प्रतिवादी स्वयं ने हमारे केस को एडमिट किया है । हमारी बहन को वाद पत्र के डिक्री किये जाने में कोई ऐतराज नहीं है । दावा धारा 88, 89 का था, न कि धारा 53 आर0 टी0 एक्ट का । धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट के वाद पत्र में सभी सह खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना

17/10

भू-प्रबन्ध ...
... अपील अधिकारी ...

Scanned by CamScanner

आवश्यक नहीं है । तहत न्यायालय ने सही तौर पर तनकीवार निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

6 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कथन है कि दावा एकपक्षीय डिकी हुआ है । प्लीडिंग्स से बाहर जाकर इन्होंने बहस की है । इनका कथन है कि इन्तकाल नम्बर 171 हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज हुआ था । परनतु कौनसी सम्पत्ति का दर्ज हुआ , ये इन्होंने नहीं बताया । इन्होंने पूरी भूमि पर गलत तौर पर दावा कर दिया । तहत अदालत का निर्णय विधिसंगत नहीं है ।

7 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तथा तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया । तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की तनकीवार समीक्षा निम्न प्रकार है :–

8 तनकी नम्बर 01 :–

आया वाद पत्र के जिम्मन नम्बर 2 व 3 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान वाके ग्राम जागीवाडा तहसील मुण्डावर में स्थित है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । इसके समर्थन में जो राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है, उससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि ग्राम जागीवाडा में स्थित है । अतः तनकी का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

तनकी नम्बर 02 :–

आया वाद पत्र के जिम्मन नम्बर 2 व 3 के अनुसार वादीगण के पूर्वज 1/2 भाग व प्रतिवादीगण के पूर्वज 1/2 भाग दर्ज इन्तकाल नम्बर 171 के जरिये मंजूर हुआ है, लेकिन इस इन्तकाल का अमल जमाबंदियात में नहीं आया, लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर अपने नाम 2/3 भाग व वादीगण के नाम 1/3 भाग खिलाफ कानून व मौका दर्ज करा लिया, जबकि 1/2 भाग वादीगण व 1/2 भाग प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना चाहिये । इसी प्रकार मौका पर काबिज है । इस गलत अंकन को वादीगण दुरूस्त कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं ।

इस तनकी के सम्बन्ध में हमने रिकार्ड का अवलोकन किया । इन्तकाल नम्बर 171 एग्जिविट–1 के अनुसार विवादित वादीगण और प्रतिवादीगण के पूर्वज

17/10

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

रामजीलाल व श्योलाल के नाम 1/2, 1/2 भाग में आई है । इसी प्रकार राजस्व रेकार्ड प्रदर्श 2 व 3 और मौखिक साक्ष्य से भी यह साबित है कि विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बराबर बराबर हिस्सा अर्थात 1/2 , 1/2 भाग है । जवाब दावा में भी वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकारते हुये इन्तकाल नम्बर 171 को सही बताया गया है । स्वयं प्रतिवादी नम्बर 09 ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । विद्वान तहत न्यायालय ने इस तनकी के सम्बन्ध में जो विवेचना की है, वह विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । लिहाजा इस तनकी का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

तनकी नम्बर :– 03

आया जवाब दावा के अनुसार वादीगण को कोई बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है तथा वादीगण को राजस्व रेकार्ड की पूर्व से जानकारी रही है तथा वादीगण का वाद मियाद बाहर होकर काबिल खारिज है ।

जब तनकी नम्बर 02 की समीक्षा में यह सिद्ध हो चुका है कि विवादित भूमि में वादीगण असल रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा बनता है तो ऐसी स्थिति में यह तनकी वादीगण असल रेस्पो0 के विरूद्ध तय नहीं की जा सकती । लिहाजा इस तनकी के सम्बन्ध में विद्वान तहत न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है ।

9. पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने, उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं उपरोक्त तनकीवार समीक्षा करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आशाराम के 3 पुत्र थे । एक पुत्र वादीगण के पूर्वज थे और दूसरा पुत्र प्रतिवादीगण का पूर्वज था । तीसरा पुत्र श्योकरण लाऔलाद फौत हुआ है । इस प्रकार विवादित भूमि, जो कि पैत्रिक भूमि है, में वादीगण के पूर्वज का 1/2 भाग तथा प्रतिवादीगण का 1/2 भाग होना चाहिये । विरासत इन्तकाल नम्बर 171 भी वादीगण के नाम 1/2 भाग व प्रतिवादीगण के नाम 1/2 भाग में ही दर्ज हुआ था, परन्तु इस इन्तकाल का जमाबन्दी में अमल नहीं हुआ था । मौखिक साक्ष्य, राजीनामा एवं जवाब दावा में इन्तकाल नम्बर 171 को सही बताया गया है । इस प्रकार वादीगण असल रेस्पो0 विवादित भूमि में अपना 1/ हिस्सा पाने के अधिकारी है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में

17/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

11. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 05/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. कमला पत्नि स्व0 जयसिंह जाति गुसाई निवासी ग्राम गुसाईयों की ढाणी तन जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर वगैरा

:---- अपीलांट

बनाम

1 बाला पत्नि स्व0 सुरेश जाति गुसाई निवासी ग्राम गुसाईयों की ढाणी तन जागीवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर वगैरा

:--- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,मुण्डावर दिनांक 24.12.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– सर्व श्री अमरचन्द चौधरी,ओमानंद

2. वकील रेस्पो0 :– श्री रामेश्वर दयाल

3. वकील रेस्पो0सं0 3 :– श्री जनार्दन शर्मा

पर्चा डिक्री दिनांक 17.10.2019

---

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

(कमल राम मीना)

17/10/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner